NDIS को समझना

1 2 3

3 पुस्तिकाओं में से
पुस्तिका सँख्या 1

पुस्तिका

1

इस पुस्तिका में शामिल है:

- NDIS को समझना
- अपनी पात्रता की जाँच करना
- NDIS द्वारा वित्त-पोषित समर्थन और सेवाएँ

ndis.gov.au

ndis

इस पुस्तिका का प्रयोग कैसे करें

यह पुस्तिका आपको नेशनल डिसेबिल्टी इंश्योरेंस स्कीम (राष्ट्रीय विकलाँगता बीमा योजना - NDIS) के बारे में, और यह समझने में सहायता देगी कि योजना आपकी मदद कैसे कर सकती है।

आप परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा कर सकते/सकती हैं, इसे मुलाकातों (मीटिंग्स) में अपने साथ ले जा सकते/सकती हैं, और इसमें टिप्पणियाँ, प्रश्न तथा संपर्क विवरण रिकॉर्ड करने के लिए पृष्ठ 7 में दिए स्थान का प्रयोग कर सकते/सकती हैं।

NDIS के प्रमुख शब्द: NDIS के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं, इसलिए हम साथ-साथ उनको समझाते भी हैं।

यह इस श्रृंखला की कुल तीन पुस्तिकाओं में से पहली पुस्तिका है।

पुस्तिका 1: NDIS को समझना

पुस्तिका 1 में:

NDIS के बारे में सीखना

- यह पता लगाएँ कि NDIS क्या है, यह क्या समर्थन प्रदान करती है तथा और अधिक जानकारी के लिए आप किससे संपर्क कर सकते/सकती हैं।
- NDIS, सामुदायिक और अन्य सरकारी सेवाओं की अलग-अलग भूमिकाओं को समझें।

NDIS के लिए आवेदन करने का निर्णय लेना

- NDIS में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता के बारे में सीखें।
- यदि आपको लगता है कि आप NDIS के लिए पात्र हैं, तो यह पता लगाएँ कि आपको आगे क्या करने की ज़रूरत है।

NDIS की सुविधा प्राप्त करना

- यह समझें कि NDIS की सुविधा प्राप्त करने के लिए निवेदन करने हेतु किस जानकारी की आवश्यकता है।
- यह पता लगाएँ कि सुविधा प्राप्त करने से सम्बन्धित निर्णय कैसे लिए जाते हैं।
- यदि आप NDIS के लिए पात्र नहीं हैं, तो यह पता लगाएँ कि सामुदायिक और अन्य सरकारी सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने के लिए मदद कैसे लेनी है।

इस श्रृंखला की अन्य पुस्तिकाएँ हैं:

पुस्तिका 2: योजना बनाना

पुस्तिका 2 में शामिल है:

- आपको वर्तमान में प्राप्त समर्थनों के बारे में समझना और अपनी नियोजन मुलाकात की तैयारी करना
- अपनी योजना बनाने के लिए नियोजन मुलाकात में भाग लेना
- अपनी अनुमोदित NDIS योजना प्राप्त करना

पुस्तिका 3: अपनी NDIS योजना का प्रयोग करना

पुस्तिका सँख्या 3 में शामिल है:

- यह समझना कि आपकी योजना में क्या शामिल है
- अपनी योजना का प्रयोग करने के बारे में सीखना
- समर्थनों और सेवाओं का चयन करना और उनका प्रबंध करना
- अपनी योजना और प्रगति की समीक्षा करना

आपको अपनी NDIS यात्रा के दौरान अपने लिए ज़रूरी पुस्तिकाएँ मिलेंगी, या आप इन्हें NDIS की वेबसाइट www.ndis.gov.au से प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

NDIS को समझना

NDIS क्या है?

नेशनल डिसेबिल्टी इंश्योरेंस स्कीम (राष्ट्रीय विकलाँगता बीमा योजना - NDIS) विकलाँगता से ग्रस्त लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया की पहली राष्ट्रीय योजना है।

यह सँस्थाओं और सामुदायिक संगठनों को ब्लॉक फंडिंग (खण्डों में धनराशि) प्रदान करने की पुरानी प्रणाली से अलग दिशा में जाते हुए सीधे व्यक्ति-विशेषों को धन-राशि प्रदान करती है।

ऑस्ट्रेलिया में लगभग 43 लाख लोग विकलाँगता से ग्रस्त हैं। जब NDIS को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, तो यह योजना **स्थायी और महत्वपूर्ण प्रकार की विकलाँगताओं** से ग्रस्त 65 साल से कम आयु वाले 4,60,000 ऑस्ट्रेलियावासियों को **समर्थन और सेवाओं** के लिए धन-राशि प्रदान करेगी। कई लोगों के लिए यह पहला अवसर होगा जब वे अपने लिए आवश्यक विकलाँगता समर्थन प्राप्त कर पाएँगे।

NDIS विकलाँगता से ग्रस्त लोगों को उनके समुदायों में उपलब्ध सेवाओं से सम्बन्धित सूचना और संपर्क प्रदान कर सकती है, जैसेकि डॉक्टर, स्पोर्टिंग (खेलकूद) क्लब, समर्थन समूह, पुस्तकालय और विद्यालय, तथा साथ ही इस बारे में जानकारी भी दे सकती है कि प्रत्येक राज्य एवं राज्य-क्षेत्र द्वारा क्या समर्थन प्रदान किया जाता है।

NDIS - इसका क्या अर्थ है?

N – नेशनल (राष्ट्रीय)

NDIS की शुरुआत सभी राज्यों और राज्य-क्षेत्रों में क्रमिक तरीके से की जा रही है।

D – डिसेबिल्टी (विकलाँगता)

NDIS बौद्धिक, शारीरिक, संवेदी, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक विकलाँगता से ग्रस्त पात्र लोगों को समर्थन प्रदान करती है। विकलाँगता से ग्रस्त लोगों या विकासात्मक विलंब से ग्रस्त बच्चों को **एर्ली इंटरवेंशन (प्रारम्भिक हस्तक्षेप)** समर्थन भी प्रदान किए जा सकते हैं।

I – इंश्योरेंस (बीमा)

NDIS सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को इस बारे में मानसिक शांति देती है कि यदि वे, उनकी संतान या कोई प्रियजन जन्म से किसी स्थायी और महत्वपूर्ण प्रकार की विकलाँगता से ग्रस्त हैं या जीवन में आगे चलकर इससे पीड़ित हो जाते हैं, तो उन्हें अपने लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त होगा।

S – स्कीम (योजना)

NDIS एक कल्याण प्रणाली नहीं है। NDIS का निर्माण लोगों को अपने लिए आवश्यक इस प्रकार का समर्थन प्राप्त करने में सहायता देने के लिए किया गया है, जिससे समय के साथ-साथ उनकी योग्यताओं और स्वतंत्रता में सुधार हो सके।

NDIS के प्रमुख शब्द:

स्थायी और महत्वपूर्ण प्रकार की विकलाँगता

स्थायी विकलाँगता का अर्थ है कि संभावित रूप से आपकी विकलाँगता जीवनकाल के लिए बनी रहेगी। महत्वपूर्ण प्रकार की विकलाँगता रोज़ाना की गतिविधियों को पूरा करने की आपकी क्षमता को काफी हद तक प्रभावित करती है।

समर्थन और सेवाएँ

सहायता या उत्पाद जो किसी व्यक्ति के रोज़मर्रा के जीवन में उसकी मदद करते हैं और समुदाय में भाग लेने तथा अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में उनकी मदद करते हैं।

एर्ली इंटरवेंशन (प्रारम्भिक हस्तक्षेप)

किसी व्यक्ति को, चाहे वह बच्चा या वयस्क हो, जितनी जल्दी संभव हो सके समर्थन प्रदान किया जाए, ताकि विकलाँगता या विकासात्मक विलंब के प्रभावों को कम किया जा सके और उसकी योग्यताओं और स्वतंत्रताओं का निर्माण किया जा सके।

“रोज़मर्रा के जीवन में मुझे सामने आने वाली बाधाओं में अपनी सहायता के लिए NDIS का प्रयोग करके मैं विकलाँगता से जुड़ी रोज़ाना की वित्तीय कठियाईयों की चिंता किए बिना अपने व्यापार की वृद्धि करने पर ध्यान देने में सक्षम हुई हूँ।”

LAURA, NDIS प्रतिभागी और लघु व्यापार की मालिक

NDIS क्या करती है?

पात्र लोगों को उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों के आधार पर वित्त-पोषण प्रदान करती है

NDIS स्थायी और महत्वपूर्ण प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त लोगों को **यथोचित और आवश्यक** वित्त-पोषण प्रदान करती है, ताकि वे अपना जीवन जीने और आनन्द उठाने के लिए अपने लिए आवश्यक समर्थन और सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकें।

प्रत्येक **NDIS प्रतिभागी** के पास एक व्यक्तिगत योजना होती है, जिसमें उसके लक्ष्यों और उन्हें मिली धन-राशि को सूचीबद्ध किया जाता है।

NDIS प्रतिभागी अपनी धन-राशि का प्रयोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद देने वाले समर्थन और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं। हरेक व्यक्ति के लक्ष्य अलग-अलग होते हैं, परन्तु इन लक्ष्यों में नौकरी प्राप्त करना और बनाए रखना, दोस्त बनाना या किसी स्थानीय सामुदायिक गतिविधि में भाग लेना शामिल हो सकता है। NDIS प्रतिभागी उन्हें मिलने वाले समर्थन, और इन बातों का नियंत्रण करते हैं कि यह समर्थन उन्हें कब मिलेगा और इसे कौन प्रदान कराएगा।

NDIS किसी ऐसे समर्थन के लिए धन-राशि नहीं दे सकती है, जो:

- किसी अन्य सरकारी प्रणाली या सामुदायिक सेवा की जिम्मेदारी हो; अथवा
- व्यक्ति की विकलाँगता से सम्बन्धित न हो।

विकलाँगता से ग्रस्त सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को शामिल करने के लिए समुदायों का समर्थन करना

जो लोग NDIS के लिए पात्र नहीं है, वे भी सामुदायिक और अन्य सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। NDIS जानकारी प्रदान कर सकती है और विकलाँगता से ग्रस्त सभी लोगों, उनके परिवारों और देखभालकर्ताओं का संपर्क सामुदायिक तथा अन्य सरकारी सेवाओं के साथ स्थापित करने में मदद दे सकती है। कई लोगों के लिए यह उनके लिए आवश्यक संपूर्ण समर्थन होगा।

NDIS के प्रमुख शब्द:

यथोचित और आवश्यक

'यथोचित' का अर्थ है कुछ उचित चीज़ और 'आवश्यक' का अर्थ है कुछ ऐसी चीज़ जिसकी व्यक्ति को ज़रूरत है। NDIS व्यक्ति की विकलाँगता से सम्बन्धित समर्थन और सेवाओं का वित्त-पोषण करती है, ताकि उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके।

NDIS प्रतिभागी

जो लोग NDIS की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं, उन्हें प्रतिभागी कहा जाता है।

सहभागी

समुदाय में सहभागी ऐसी समुदाय-आधारित संस्थाएँ होती हैं जो NDIS प्रदान करने के लिए NDIA के साथ काम करती हैं। सहभागी ECEI सेवाएँ या LAC सेवाएँ प्रदान करते हैं; कुछ संस्थाएँ ये दोनों सेवाएँ प्रदान करती हैं।

NDIS को लागू करने में कौन सहायता कर रहा है?

नेशनल डिसेबिल्टी इंश्योरेंस एजेंसी

- नेशनल डिसेबिल्टी इंश्योरेंस एजेंसी (राष्ट्रीय विकलांगता बीमा संस्था - NDIA) NDIS का संचालन करने वाली एक स्वतंत्र सरकारी संस्था है।
- NDIA इस बारे में निर्णय लेती है कि क्या कोई व्यक्ति NDIS का प्रतिभागी बनने के लिए पात्र है या नहीं और, यदि हाँ, तो उसे कितनी धन-राशि मिलेगी। यह *NDIS Act 2013 (NDIS अधिनियम 2013)* कहे जाने वाले कानून पर आधारित है जो यह निर्धारित करता है कि किन समर्थनों और सेवाओं को NDIS द्वारा वित्त-पोषित किए जाने के लिए यथोचित और आवश्यक माना जाता है।

एर्ली चाइल्डहुड एर्ली इंटरवेंशन (प्रारम्भिक बचपन में प्रारम्भिक हस्तक्षेप) सहभागी

- एर्ली चाइल्डहुड एर्ली इंटरवेन्शन (ECEI) विकासात्मक विलंब या विकलांगता से ग्रस्त 0-6 साल के बच्चों की सहायता करता है।
- ECEI सहभागी ECEI समन्वयकों की नियुक्ति करते हैं, जो बच्चों और उनके परिवारों को बच्चे की ज़रूरतों के लिए तैयार किए गए समर्थन और सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने में उनकी मदद करते हैं।
- ECEI समन्वयक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं, प्लेग्रुप्स या उनके क्षेत्र में उपलब्ध अन्य गतिविधियों जैसी अन्य सेवाओं के साथ संपर्क स्थापित करने में भी मदद करेंगे।

लोकल एरिया कॉर्डिनेशन पार्टनर्स (स्थानीय क्षेत्रीय समन्वयन सहभागी)

- स्थानीय क्षेत्रीय समन्वयन सहभागी स्थानीय क्षेत्रीय समन्वयकों (लोकल एरिया कॉर्डिनेटर्स - LAC) की नियुक्ति करते हैं, जो NDIS को समझने और इसकी सुविधा प्राप्त करने में लोगों की मदद करते हैं। वे NDIS प्रतिभागियों की NDIS योजना तैयार करने और इसका प्रयोग करने के लिए उनके साथ काम भी करते हैं।
- सात साल और इससे अधिक की आयु वाले अधिकाँश लोगों के लिए, NDIS के लिए उनका प्रमुख संपर्क LAC होगा।
- LAC विकलाँगता से ग्रस्त लोगों का संपर्क उनके समुदाय में उपलब्ध समर्थनों, सेवाओं, गतिविधियों और अन्य सरकारी सेवाओं के साथ स्थापित करेगा। LAC समुदायों में काम भी करते हैं, ताकि वे विकलाँगता से ग्रस्त सभी लोगों के लिए और अधिक सुलभ तथा समावेशी बन सकें।

मैं अपने स्थानीय ECEI या LAC सहभागी का पता कैसे करूँ?

अपने स्थानीय ECEI या LAC सहभागी का पता लगाने के लिए **www.ndis.gov.au** पर जाएँ या **1800 800 110** पर कॉल करें।

NDIS की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपनी पात्रता की जाँच करें

NDIA यह निर्णय लेती है कि NDIS की सुविधा कौन प्राप्त कर सकता है और ये निर्णय लोगों द्वारा उनकी विकलाँगता व उनके रोज़मर्रा के जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में प्रदान की गई जानकारी पर आधारित होते हैं। NDIS की पात्रता के लिए यह ज़रूरी है कि:

- आप किसी स्थायी विकलाँगता से ग्रस्त हों, जो रोज़मर्रा की गतिविधियों में भाग लेने की आपकी क्षमता को महत्वपूर्ण प्रकार से प्रभावित करती हो या फिर आप किसी विकासात्मक विलंब से ग्रस्त हों
- NDIS की सुविधा का प्रयोग पहली बार करते समय आपकी आयु 65 साल से कम हो
- आप एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हों, आपके पास परमानेंट (स्थायी) वीज़ा या सँरक्षित विशेष श्रेणी (प्रोटेक्टेड स्पेशल कैटेगरी) वीज़ा हो, और
- आप ऑस्ट्रेलिया के किसी ऐसे क्षेत्र में रहते/रहती हों जहाँ NDIS अब उपलब्ध है।

इस बात की जाँच करने के लिए कि क्या आप NDIS की सुविधा प्राप्त कर सकते/सकती हैं, निम्नलिखित जाँच-सूची पूरी करें। याद रखें, यह केवल एक मार्गदर्शिका है और आपकी पात्रता से सम्बन्धित अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी NDIA की है।

1. क्या आपकी आयु 65 वर्ष से कम है? NDIS की सुविधा प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि आवेदन करते समय आपकी आयु 65 वर्ष से कम हो।	***हाँ***, प्रश्न 2 पर जाएँ। ***नहीं***, आप NDIS की सुविधा प्राप्त नहीं कर पाएँगे/पाएँगी। हो सकता है कि आप अन्य वयोवृद्ध देखभाल (एजेड केयर) समर्थनों की सुविधा प्राप्त कर पाएँ। वेबसाइट **www.myagedcare.gov.au** पर जाएँ।
2. क्या आपके पास ऑस्ट्रेलियाई रेजीडेन्सी (स्थायी निवास वीज़ा) है? NDIS की सुविधा प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप ऑस्ट्रेलिया में निवास करते/करती हों और आप: • एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हों, या • एक परमानेंट रेजीडेन्ट (स्थायी निवासी) हों, या • सँरक्षित विशेष श्रेणी (प्रोटेक्टेड स्पेशल कैटेगरी) वीज़ा धारक हों।	***हाँ***, प्रश्न 3 पर जाएँ। ***नहीं***, आप NDIS की सुविधा प्राप्त नहीं कर पाएँगे/पाएँगी। हो सकता है कि आप सामुदायिक और अन्य सरकारी सेवाओं के माध्यम से अन्य समर्थनों की सुविधा प्राप्त कर सकें।
3. क्या आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते/रहती हैं जहाँ NDIS वर्तमान में उपलब्ध है? वर्तमान में NDIS की सुविधा प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप किसी क्षेत्र में रहते/रहती हों जहाँ NDIS उपलब्ध है। यदि आपके पास इस बारे में जानकारी नहीं है, तो NDIS की वेबसाइट **www.ndis.gov.au** पर जाएँ या **1800 800 110** पर कॉल करें।	***हाँ***, प्रश्न 4 पर जाएँ। ***नहीं***, आपको अपने क्षेत्र में NDIS उपलब्ध होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
4. क्या आपको सामान्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति से समर्थन लेने की ज़रूरत पड़ती है या क्या आप किसी स्थायी और महत्वपूर्ण प्रकार की विकलाँगता के कारण रोज़मर्रा के कार्य पूरा करने के लिए किसी विशेष उपकरण का प्रयोग करते/करती हैं? NDIS की सुविधा प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप किसी ऐसी स्थायी और महत्वपूर्ण प्रकार की विकलाँगता से ग्रस्त हों जो आपके लिए रोज़मर्रा के कार्य स्वयँ करने में बाधा पैदा करती हो। इसमें बार-बार प्रदर्शित होने वाली विकलाँगताएँ शामिल हैं, जैसेकि वे लोग जो महत्वपूर्ण प्रकार की और आजीवन मनोसामाजिक विकलाँगता से ग्रस्त होते हैं।	***हाँ***, कोई LAC, ECEI सहभागी या फिर NDIA सुविधा प्राप्त करने का निवेदन करने में आपकी मदद कर सकती है। और अधिक जानकारी के लिए अगले पृष्ठ पर दिया गया चित्र देखें। ***नहीं***, प्रश्न 5 पर जाएँ।
5. क्या भविष्य में अपनी समर्थन की ज़रूरतों को कम करने के लिए आपको वर्तमान में कुछ समर्थनों की ज़रूरत है? प्रारंभिक हस्तक्षेप प्राप्त करने हेतु NDIS की सुविधा प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप: • किसी स्थायी विकलाँगता से ग्रस्त हों, या • किसी महत्वपूर्ण प्रकार के विकासात्मक विलंब से ग्रस्त 0-6 साल की आयु के बच्चे हों, जिसके लिए निश्चित स्तर के हस्तक्षेप की ज़रूरत है, और इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि वर्तमान में समर्थन देने से आपको निम्नलिखित बातों में मदद मिलेगी: • आपकी विकलाँगता या विकासात्मक विलंब के प्रभाव कम हो पाएँगे, और • आप अपनी योग्यताओं और स्वतंत्रता का निर्माण कर पाएँगे/पाएँगी।	***हाँ***, कोई LAC, ECEI सहभागी या फिर NDIA सुविधा प्राप्त करने का निवेदन करने में आपकी मदद कर सकती है। और अधिक जानकारी के लिए अगले पृष्ठ पर दिया गया चित्र देखें। ***नहीं***, कोई LAC या ECEI सहभागी आपका संपर्क सामुदायिक या अन्य सरकारी सेवाओं के साथ स्थापित करने में मदद देने के लिए उपलब्ध हो सकता है।

NDIS की सुविधा प्राप्त करना

जब आपने पृष्ठ 5 पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे दिए हों, तो NDIS की सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने में मदद के लिए नीचे दिए गए चित्र का प्रयोग करें।

मुझे वर्तमान में अपने राज्य या राज्य-क्षेत्र की सरकार से विकलाँगता समर्थन मिलता है।

→ एक NDIS प्रतिनिधि NDIS की सुविधा प्राप्त करने के बारे में आपको कॉल करेगा।

→ NDIS की सुविधा प्राप्त करने के लिए आपकी पात्रता से सम्बन्धित निर्णय लेने में NDIA की सहायता करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रमाण प्रदान करने की ज़रूरत हो सकती है।

→ यदि आप पात्र हैं, तो आपके वर्तमान समर्थन और सेवाएँ तब तक जारी रहेंगे जब तक कि आपको एक अनुमोदित NDIS योजना नहीं मिल जाती है।

मुझे वर्तमान में अपने राज्य या राज्य-क्षेत्र की सरकार से विकलाँगता समर्थन नहीं मिलता है।

→ मेरी आयु 7 और 64 साल के बीच है।

→ अपने सबसे निकट स्थित LAC सहभागी या NDIA से संपर्क करें। वेबसाइट **www.ndis.gov.au** पर जाएँ या **1800 800 110** पर कॉल करें।

→ LAC आपका संपर्क आपके समुदाय में सेवाओं, समर्थनों और गतिविधियों और अन्य सरकारी सेवाओं से स्थापित कर सकता है। कई लोगों के लिए यह उनके लिए आवश्यक संपूर्ण समर्थन हो सकता है।

→ यदि आपकी कोई अतिरिक्त विकलाँगता समर्थन आवश्यकताएँ हैं, तो आप NDIS के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं। आपका LAC या NDIA सुविधा प्राप्त करने के लिए निवेदन करने में आपका समर्थन कर सकता है।

→ मेरी आयु 65 साल या इससे अधिक है।

→ विकलाँगता से ग्रस्त 65 साल या इससे अधिक की आयु वाले लोग NDIS के लिए पात्र नहीं होते हैं।

→ विकलाँगता से ग्रस्त 65 साल या इससे अधिक की आयु वाले NDIS के लिए अयोग्य लोगों हेतु समर्थन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **www.myagedcare.gov.au** पर उपलब्ध People with Disabilities पृष्ठ पर जाएँ।

मेरा 0 से 6 साल की आयु का एक बच्चा है।

→ अपने स्थानीय ECEI सहभागी से संपर्क करें। वेबसाइट **www.ndis.gov.au** पर जाएँ या **1800 800 110** पर कॉल करें।

→ आपका ECEI समन्वयक आपके बच्चे की ज़रूरतों के लिए तैयार किए गए समर्थनों और सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है कि बच्चे को अपने विकासात्मक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केवल एर्ली इंटरवेंशन (प्रारम्भिक हस्तक्षेप) की ही ज़रूरत हो।

→ यदि आपके बच्चे को लंबे समय के लिए समर्थन की आवश्यकता है, तो ECEI समन्वयक NDIS के लिए आवेदन करने में आपके बच्चे की मदद करेगा।

यदि मुझे सुविधा प्राप्त करने के लिए निवेदन करने में सहायता की आवश्यकता हो, तो क्या होगा?

यदि आपके पास कानूनी रूप से नियुक्त किया गया प्रतिनिधि है, तो वह आपका समर्थन कर सकता है या आपकी ओर से सुविधा प्राप्त करने के लिए निवेदन कर सकता है। यदि आपके पास कानूनी रूप से प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो आप किसी परिजन, मित्र या समर्थन कर्मी से अपनी मदद करने के लिए कह सकते/सकती हैं। परंतु आपके लिए यह ज़रूरी होगा कि आप अपने सहायक व्यक्ति को आपकी ओर से सुविधा प्राप्त करने के लिए निवेदन करने की अनुमति प्रदान करें।

अपने सुविधा प्राप्त करने के निवेदन का समर्थन करने के लिए सूचना प्रदान करना

सुविधा प्राप्त करने के लिए निवेदन की शुरुआत NDIA को **1800 800 110** पर कॉल करके की जा सकती है।

NDIS के लिए अपनी पात्रता के बारे में निर्णय लेने में NDIA की सहायता करने के लिए आपके लिए अपने बारे में जानकारी प्रदान करना ज़रूरी होगा। आप अपनी ओर से जानकारी देने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति को भी अनुमति दे सकते/सकती हैं।

आपसे निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने के लिए कहा जाएगा:

- आपका नाम, आपकी आयु, आप कहाँ रहते/रहती हैं और क्या आपके पास स्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया में रहने की अनुमति है।
- आपकी आयु और निवास-स्थान का प्रमाण।
- आपकी विकलाँगता और आपके ऊपर इसके प्रतिदिन पड़ने वाले प्रभाव का विवरण।
- आपके पास पहले से मौजूद चिकित्सीय विशेषज्ञों या एलाइड हेल्थ व्यवसायिकों से मिली वर्तमान और/या प्रासंगिक रिपोर्ट्स।
- क्या आप NDIA को अपनी विकलाँगता के बारे में अन्य लोगों से बात करने की अनुमति देते/देती हैं, जिनमें Centrelink, आपका GP या आपको समर्थन प्रदान करने वाला व्यक्ति शामिल है।

सुविधा प्राप्त करने के लिए निवेदन किए जाने के बाद NDIA आपको एक पत्र भेजेगी, जिसमें किसी प्रमाण को जमा करने के लिए आपसे निवेदन किया जाएगा।

अपने प्रमाण निम्नलिखित माध्यमों से NDIA के पास भेजें:

डाक: GPO Box 700, Canberra, ACT 2601

ई-मेल: NAT@ndis.gov.au

व्यक्तिगत रूप से: इस पत्र को अपने स्थानीय कार्यालय में ले जाएँ

अपने रिकॉर्ड के लिए अपने प्रमाण की एक प्रति अपने पास रखें।

टिप्पणियाँ और प्रश्न

NDIS की सुविधा प्राप्त करना

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि NDIS द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों का समर्थन कैसे किया जा सकता है।

HARRIET

Janine अपनी चार वर्ष की बेटी Harriet के विकास को लेकर चिंतित है। Janine 0-6 साल के बच्चों के लिए एर्ली चाइल्डहुड एर्ली इंटरवेंशन (प्रारम्भिक बचपन में प्रारम्भिक हस्तक्षेप - ECEI) के बारे में सीखने के लिए NDIS की वेबसाइट का प्रयोग करती है, और उसे लगता है कि Harriet को इससे लाभ पहुँचेगा।

Janine यह पता लगाने के लिए NDIA को कॉल करती है कि सहायता कहाँ से प्राप्त करनी चाहिए और उसे अपने स्थानीय ECEI सहभागी के प्रति निर्देशित किया जाता है। वह ECEI समन्वयक के साथ एक मुलाकात निश्चित करती है। ECEI समन्वयक को लगता है कि Harriet को योजना की ज़रूरत नहीं है, परन्तु उसे कुछ एर्ली इंटरवेन्शन समर्थन से लाभ मिल सकता है। ECEI समन्वयक घर और किंडरगार्टन (बाल-विहार) में प्रयोग करने के लिए स्पीच थेरेपी (वाक-चिकित्सा) से संबंधित कार्यनीतियों के लिए Janine को समर्थन देता है, ताकि Harriet की संवाद कुशलताओं के विकास में सुधार किया जा सके।

ECEI सहभागी से जुड़ी टीम कुछ थेरेपी कार्यनीतियाँ भी प्रदान करती है, जिनका प्रयोग Harriet का परिवार उसकी स्वतंत्रता को समर्थन देने के लिए घर पर ही कर सकता है। तीन महीनों के बाद Harriet के स्पीच और संपूर्ण विकास में सुधार हुआ है तथा परिवार को और अधिक ECEI समर्थन की ज़रूरत के बिना ही Harriet की प्रगति का समर्थन करना जारी रखने में आश्वासन महसूस होता है। Harriet अगले साल प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने के लिए तैयार है।

ECEI समन्वयक Janine को Harriet की प्रगति पर ध्यान बनाए रखने और भविष्य में उसके विकास के बारे में किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए संपर्क करने के लिए कहता है।

DOM

24-वर्षीय Dom मध्यम दर्जे की बौद्धिक विकलाँगता से ग्रस्त है। वह अपने माता-पिता के साथ रहता है और उसे भोजन बनाने और परिवहन जैसे कार्यों में उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है, और जब वह बाहर घूमने जाता है तो उसके माता-पिता भी उसके साथ जाते हैं। वह और अधिक स्वतंत्र बनना चाहता है और एक दिन कोई पार्ट-टाइम नौकरी प्राप्त करना चाहता है।

Dom ने कभी भी अपनी राज्य सरकार से विकलाँगता समर्थन प्राप्त नहीं किया है। Dom के परिवार को यह पता चला है कि उनके क्षेत्र में NDIS की शुरुआत की गई है। उसके पिताजी NDIA को कॉल करते हैं और फोन पर सुविधा प्राप्त करने के लिए निवेदन करते हैं। कोई निर्णय लिए जाने से पहले, उनसे Dom की विकलाँगता से सम्बन्धित अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है।

उपलब्ध कराए गए प्रमाण के आधार पर Dom के सुविधा प्राप्त करने के निवेदन को स्वीकार किया जाता है। उसके क्षेत्र के लोकल एरिया कॉर्डिनेटर (LAC) के प्रति उसे निर्देशित किया जाता है। Dom को नए कार्य सीखने के लिए समर्थन और सेवाएँ खरीदने में सहायता के लिए NDIS से धन-राशि प्राप्त होती है - जैसेकि अपने लिए भोजन बनाना, हर सुबह तैयार होना, और अपनी योग्यताओं और आत्म-विश्वास का निर्माण करने में मदद ले पाना जिससे कि वह स्वयं बस पकड़ सके। लंबी अवधि में Dom सही योग्यताएँ प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी NDIS धन-राशि का प्रयोग करने की उम्मीद करता है, ताकि वह हॉस्पिटेलिटी के क्षेत्र में एक पार्ट-टाइम नौकरी प्राप्त कर सके।

JIM

45-वर्षीय Jim के साथ घर पर दुर्घटना हुई है और उसके पैर में कई चोटें लगी हैं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, कई सर्जरियाँ की जाती हैं और अपनी पीड़ा को कम करने के लिए उसे दवाइयों की ज़रूरत है।

अस्पताल से जाने के बाद पहले कुछ सप्ताहों के लिए Jim को घावों पर लगी पट्टियाँ उतारकर नई पट्टियाँ बांधने में मदद की ज़रूरत है। वह एक गहन पुनर्वास कार्यक्रम भी शुरू करता है।

Jim की अस्पताल में देखभाल, सर्जरियों, विशेषज्ञों, नर्सों और पुनर्वास से जुड़ी धन-राशि के लिए राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली जिम्मेदार है। Jim इस बात की पहचान करता है कि वह NDIS के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि उसकी चोटों के स्थायी होने की संभावना नहीं है।

Jim यह जानता है कि यदि आगे चलकर उसकी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं तो वह NDIS के लिए पात्र हो सकता है, उदाहरण के लिए यदि उसके सारे उपचार समाप्त हो जाते हैं और इस बात का प्रमाण है कि वह स्थायी और महत्वपूर्ण प्रकार की विकलाँगता से ग्रस्त है, जिसका यह अर्थ है कि उसे रोज़मर्रा की गतिविधियों में सहायता की ज़रूरत हो सकती है।

NDIS द्वारा वित्त-पोषित समर्थन और सेवाएँ

NDIS कौन से समर्थन और सेवाओं को वित्त-पोषित कर सकती है?

NDIS विभिन्न प्रकार के समर्थन और सेवाओं को वित्त-पोषित करती है, जिनमें शिक्षा, रोज़गार, सामाजिक प्रतिभाग, स्वतंत्रता, रहन-सहन के प्रबंध और स्वास्थ्य एवं कल्याण शामिल हैं।

किसी समर्थन या सेवा को यथोचित और आवश्यक माने जाने के लिए यह ज़रूरी है कि वह समर्थन या सेवा:

- प्रतिभागी की विकलाँगता से सम्बन्धित हो
- उसमें ऐसे रोज़मर्रा के रहन-सहन के खर्च शामिल न हों जो आपकी विकलाँगता के लिए समर्थन की आवश्यकताओं से सम्बन्धित **न** हों, जैसेकि किराने का सामान
- व्यय होने वाले धन के लिए उपयोगिता दर्शाती हो
- संभावित रूप से प्रतिभागी के लिए प्रभावी और कारगर हो, और
- अन्य सरकारी सेवाओं, आपके परिवार, देखभालकर्ताओं, संपर्कों और समुदाय द्वारा दी जाने वाली सहायता को ध्यान में रखती हो।

NDIS परिवारों और देखभालकर्ताओं का समर्थन कैसे करती है?

NDIS स्थायी और महत्वपूर्ण प्रकार की विकलाँगता से ग्रस्त लोगों को समर्थन देती है, परंतु NDIS द्वारा वित्तपोषित समर्थन और सेवाओं से परिवारों और देखभालकर्ताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है।

आपका LAC, ECEI समन्वयक या NDIA सरकार द्वारा अन्य वित्त-पोषित कार्यक्रमों के तहत आपके लिए उपलब्ध समर्थनों के बारे में भी आपको जानकारी दे सकते हैं। इनमें आपके समुदाय में परामर्श सेवा और देखभालकर्ता सहायता समूह शामिल हैं।

क्या NDIS विकलाँगता समर्थन पेंशन (Disability Support Pension) से सम्बन्धित है?

नहीं। विकलाँगता समर्थन पेंशन (डिसेबिल्टी सपोर्ट पेंशन - DSP) NDIS से अलग है। यदि आप DSP प्राप्त कर रहे/रही हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आप स्वत: NDIS के लिए पात्र हो जाएँगे/जाएँगी, और आपको NDIS के लिए अपनी पात्रता की जाँच करना और आवेदन करना ज़रूरी होगा।

इसी प्रकार, यदि आप NDIS से धन-राशि प्राप्त कर रहे/रही हैं, तो इससे आपके DSP या देखभालकर्ता भत्ता जैसे मिलने वाले आय समर्थन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

क्या NDIS अन्य सरकारी और सामुदायिक सेवाओं का स्थान लेती है?

नहीं। अन्य सरकारी और सामुदायिक सेवाओं की यह जिम्मेदारी बनी रहती है कि वे सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सहायता प्रदान करें और उनकी सेवाएँ निश्चित रूप से विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के लिए समावेशी और सुलभ बनी रहें। NDIS इन सेवाओं को दोहराती नहीं है या इनका वित्त-पोषण नहीं करती है, परंतु आपका LAC या ECEI समन्वयक आपके क्षेत्र में उपलब्ध समर्थन के बारे में आपको बता सकता है और इन्हें प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है।

अन्य सरकारी सेवाओं में स्थानीय काउंसिलें, अस्पताल, पुस्तकालय, स्वास्थ्य केन्द्र, जन परिवहन या विद्यालय शामिल होते हैं। सामुदायिक सेवाओं और गतिविधियों में आपके स्थानीय समुदाय में मौजूद सामुदायिक समूह, खेलकूद क्लब और चैरिटी संस्थाएँ शामिल हो सकती हैं। व्यवसाय भी प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करने और उसके लिए सुलभ परिसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनमें कैफ़े, कार्यस्थल और शॉपिंग सेंटर शामिल हैं।

> “स्कूल के हरेक सप्ताह में, मैं एक दिन का अवकाश लूँगा और उस दिन मैं बैंक में काम करूँगा। मैं वास्तव में टैलर की भूमिका के अनुभव सीखने और बैंक में काम करने के लिए उत्सुक हूँ।”
>
> **ONI, NDIS प्रतिभागी**

अन्य सरकारी सेवाओं की क्या जिम्मेदारी है?

विकलाँगता से ग्रस्त सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए अन्य सरकारी सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी। अलग-अलग सेवाओं की जिम्मेदारी किसकी है, यह समझने में आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं।

आपका LAC, ECEI समन्वयक या NDIA भी आपको इस बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकता है कि NDIS किस समर्थन के लिए वित्त-पोषण प्रदान करेगी और किसके लिए नहीं।

शिक्षा

NDIS निम्नलिखित कार्यों के लिए धन-राशि देती है:

- विद्यार्थी की विकलांगता से सम्बन्धित स्कूल पर आत्म-देखरेख, जैसे खाने-पीने में सहायता।
- विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थी की विशिष्ट, व्यक्तिगत निजी समर्थन आवश्यकताओं के लिए अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का विशेषज्ञ प्रशिक्षण।
- विद्यार्थी की विकलाँगता के कारण आवश्यक विशेषज्ञ परिवहन (यह अभिभावक की जिम्मेदारी का विकल्प नहीं है)।
- व्हीलचेयर या व्यक्तिगत संचार उपकरणों जैसे परिवहनीय उपकरण।
- परिवार और स्कूल द्वारा सहमति-प्राप्त परंतु शिक्षा के प्रयोजनों से असंबद्ध थेरेपियों को स्कूल के कार्यकाल में प्रदान किया जा सकता है।

शिक्षा प्रणालियाँ निम्नलिखित कार्यों के लिए धन-राशि देती हैं:

- अध्यापक, शिक्षा सहायक और Auslan दुभाषियों जैसे अन्य समर्थन।
- अध्यापकों, ट्यूटरों और अन्य कर्मचारियों के लिए सामान्य समर्थन, संसाधन और प्रशिक्षण।
- शैक्षिक या प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए स्कूलों में प्रदान की जाने वाली थेरेपी, जैसेकि एलाइड हेल्थ व्यवसायिकों द्वारा पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाने में अध्यापकों और प्रशिक्षकों की मदद करना।
- पाठ्यक्रम को सुलभ बनाने के लिए साधन और उपकरण, जैसेकि संशोधित कंप्यूटर हॉर्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ब्रेल पाठ्यपुस्तकें।
- भवनों में समायोजन-कार्य, जैसेकि रैंप, लिफ्ट्स और हेयरिंग लूप।
- शैक्षिक या प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए परिवहन, जैसेकि अध्ययन-यात्राएँ, स्थानीय दौरे और खेलकूद संबंधी कार्निवाल।
- व्यावहारिक समर्थन सहित स्कूल में विद्यार्थियों की प्रतिदिन देखभाल।

स्वास्थ्य

NDIS निम्नलिखित कार्यों के लिए धन-राशि देती है:

- घर में संशोधन, व्यक्तिगत देखभाल और योग्यताओं का विकास, ताकि और अधिक स्वतंत्र बनने में व्यक्ति की मदद की जा सके।
- व्यक्ति की विकलाँगता के परिणामस्वरूप आवश्यक एलाइड हेल्थ और अन्य थेरेपी, जिसमें व्यावसायिक चिकित्सा, वाक (speech) चिकित्सा या भौतिक (physio) चिकित्सा शामिल है।
- प्रोस्थेटिक्स और कृत्रिम अंग (सर्जरी की जिम्मेदारी स्वास्थ्य प्रणाली की बनी रहेगी)।
- व्यक्ति की विकलाँगता से सम्बन्धित साधन और उपकरण, जैसे व्हीलचेयर, एडज्टेबल बैड या हेयरिंग एड।
- मनोसामाजिक विकलाँगता से ग्रस्त लोगों के लिए उपचारात्मक और व्यावहारिक समर्थन।

सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियाँ निम्नलिखित कार्यों के लिए धन-राशि देती हैं:

- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और विकलाँगताओं सहित स्वास्थ्य समस्याओं का रोग-निदान और आकलन।
- दवाइयाँ, सामान्य चिकित्सीय और डेंटल (दँत) सेवाएँ व उपचार, विशेषज्ञ सेवाएँ, अस्पताल में देखभाल, सर्जरी और पुनर्वास।
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए क्लिनिकल (नैदानिक) देखभाल।
- प्रशामक देखभाल, जेरिएट्रिक (जरा-चिकित्सा) और साइकोजेरिएट्रिक (मनोजरा-चिकित्सा) सेवाएँ।
- सब-एक्यूट, पुनर्वास और पोस्ट-एक्यूट देखभाल, जिसमें नर्स द्वारा घावों का उपचार करना शामिल है।
- अस्पताल में भर्ती होकर समय बिताने के बाद रोगी के वापिस घर जाने की योजना बनाना और इसके लिए तैयारी करना।
- सुनने और देखने की शक्ति से सम्बन्धित सामान्य सेवाएँ, जो व्यक्ति की विकलाँगता से सम्बन्धित न हों (उदाहरण के लिए नुस्खे के चश्मे)।

रोज़गार

NDIS निम्नलिखित कार्यों के लिए धन-राशि देती है:

- उन लोगों के लिए व्यक्तिगत देखभाल, जिन्हें अपनी विकलाँगता के कारण कार्यस्थल पर समर्थन की ज़रूरत होती है (उदाहरण के लिए व्यक्तिगत देखभाल या खाना खाने में सहायता)।
- व्हीलचेयर जैसे साधन और उपकरण या स्क्रीन रीडर या स्पीच जेनरेशन उपकरणों जैसे व्यक्तिगत संचार उपकरण।
- विकलाँगता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए कार्य-नियोक्ता द्वारा यथोचित रूप से प्रदान किए जाने वाले समर्थन के अतिरिक्त अन्य काम-पर-ट्रांज़िशन (अवस्थांतर) समर्थन (जैसेकि काम पर आने-जाने के लिए प्रशिक्षण, सहकर्मियों के साथ संबंध, संचार एवं सामान्य रोज़गार योग्यताएँ)।

कार्य-नियोक्ता और रोज़गार सेवाएँ निम्नलिखित कार्यों के लिए धन-राशि देती हैं:

- प्रतिभागियों के लिए रोज़गार की तलाश करने और रोज़गार बनाए रखने के लिए कार्य-संबंधित योग्यताओं का निर्माण करने में सहायता, जिसमें आवश्यकतानुसार जारी रहने वाला समर्थन शामिल है। इसमें Disability Employment Services (विकलाँगता रोज़गार सेवाएँ) या Jobactive (ऑस्ट्रेलियाई सरकार के रोज़गार सेवा कार्यक्रम) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ शामिल हैं।
- कार्यस्थल-विशिष्ट समर्थन, जैसे भवनों में संशोधन, कंप्यूटर और संशोधित डेस्क जैसे रोज़गार-विशिष्ट साधन और उपकरण।
- बैठकों जैसी कार्यस्थल गतिविधियों के लिए परिवहन।
- नौकरी की तलाश करने वाले लोगों के लिए आय समर्थन भुगतान, जैसेकि NewStart भत्ता।

पारिवारिक समर्थन

NDIS निम्नलिखित कार्यों के लिए धन-राशि देती है:

- बच्चे या माता-पिता की विकलाँगता के प्रभाव के कारण ज़रूरी विकलाँगता-विशिष्ट समर्थन।
- स्वयँ किसी विकलाँगता से ग्रस्त माता-पिताओं और देखभालकर्ताओं, या विकलाँगता से ग्रस्त उनके बच्चे के लिए विकलाँगता-विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- घर से बाहर देखभाल प्राप्त करने वाले बच्चों, किशोरों और वयस्कों के लिए विकलाँगता समर्थन, जिसमें घर में संशोधन, उपकरण, थेरेपियाँ और व्यावहारिक समर्थन, तथा और अधिक स्वतंत्र बनने के लिए बच्चे की योग्यताओं का विकास करना शामिल हैं।

सामुदायिक और सरकारी पारिवारिक सेवाएँ निम्नलिखित कार्यों के लिए धन-राशि देती हैं:

- बाल संरक्षण मामलों के लिए प्रतिक्रिया।
- बाल सुरक्षा और कल्याण से सम्बन्धित जानकारी और जागरुकता अभियान।
- परामर्श, अभिभावकीय योग्यता कार्यक्रम और पारिवारिक संबंध सेवाएँ।
- बच्चों, किशोरों और वयस्कों के लिए घर से बाहर प्रदान की जाने वाली देखभाल, जिसमें आवास, देखभाल भत्ते, भुगतान और व्यवस्थाओं को सुस्थिर बनाए रखने के लिए अन्य मानक समर्थन शामिल हैं।
- पारिवारिक और अभिभावकीय भुगतान, जैसेकि फैमिली टैक्स बेनेफिट या चाइल्ड केयर रिबेट्स।

1 **2** 3

आगे क्या होगा?

आपके द्वारा सभी आवश्यक जानकारी प्रदान किए जाने के बाद NDIA यह निर्णय लेगी कि क्या आप NDIS के लिए पात्र हैं या नहीं। हम आपको इस निर्णय की सूचना देने के लिए एक पत्र भेजेंगे। इसे 'एक्सेस निर्णय' कहा जाता है।

यदि आप NDIS के लिए पात्र नहीं हैं, फिर भी आप अपने समुदाय में समर्थनों और सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिए LAC या ECEI समन्वयक से जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

- यदि अपने रोज़मर्रा के जीवन पर विकलाँगता के कारण पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आपके पास कोई नया प्रमाण है, तो हो सकता है कि आपको एक नया एक्सेस निवेदन करने की ज़रूरत हो।
- यदि भविष्य में आपकी परिस्थिति बदल जाती है, तो आप एक नया एक्सेस निवेदन कर सकते/सकती हैं।
- आपको एक्सेस निर्णय की समीक्षा कराने के लिए NDIA को निवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। आपका LAC, ECEI समन्वयक या NDIA आपको यह बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार से यह करना चाहिए और वे किसी व्यवसायी के साथ आपका संपर्क स्थापित करा सकते हैं, जैसेकि कोई एडवोकेट (पक्षसमर्थक), जो इस प्रक्रिया में आपकी मदद कर सकता है।
- यदि आप NDIA द्वारा अपने एक्सेस निवेदन की समीक्षा से असहमत हैं, तो आप Administrative Appeals Tribunal (प्रशासनीय अपील ट्राइब्यूनल - AAT) द्वारा समीक्षा करवाने के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। AAT की वेबसाइट **www.aat.gov.au** पर जाएँ या **1800 228 333** पर कॉल करें। आप NDIA द्वारा समीक्षा किए जाने से पहले AAT द्वारा निर्णय की समीक्षा करने का निवेदन नहीं कर सकते/सकती हैं।

यदि आप NDIS के लिए पात्र हैं, तो आपसे नियोजन मुलाकात की व्यवस्था करने के लिए संपर्क किया जाएगा ताकि आप अपनी समर्थन और वित्त-पोषण आवश्यकताओं के बारे में चर्चा कर सकें।

अब आप इस पुस्तिका को देखने के लिए तैयार हैं:
पुस्तिका 2: योजना बनाना

DA0359 JANUARY 2019

इस पुस्तिका के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें:

www.ndis.gov.au

नेशनल डिसेबिल्टी इंश्योरेंस एजेंसी

टेलीफोन 1800 800 110

Facebook/NDISAus पर हमें खोजें

Twitter @NDIS पर हमें फॉलो करें

जिन लोगों को अंग्रेज़ी में मदद की ज़रूरत है

TIS: 131 450

सुनने या बोलने की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए

TTY: 1800 555 677

स्पीक एंड लिसन: 1800 555 727

इंटरनेट रिले: नेशनल रिले सेवा
www.relayservice.gov.au